

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

का. आ. सं.- 8/ज०स०(नि०) डाल 03- /09

राँची, दिनांक -

आदेश

श्री कपिलमुनि सिंह, तदेन कार्यपालक जलपथ प्रमण्डल मेदिनीनगर के विरुद्ध मोहम्मद- दंगवार भाया जपला सड़क के पुनर्स्थापन कार्य में हुए अनियमितता संबंधि आरोपों के लिए असैनिक सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 के नियम 55 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई।

(2) श्री सिंह के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के सापेक्ष संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर समीक्षोपरान्त मामले की जाँच मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग झारखण्ड राँची से कराये जाने हेतु विभागीय पत्रांक- 1966 दिनांक 04.03.14 द्वारा अनुरोध किया गया जिसका फलाफल अप्राप्त है।

(3) श्री कपिलमुनि सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता के दिनांक 30.11.2012 को सेवा निवृत्त हो जाने के कारण उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही को पेंशननियमावली के नियम-43 बी० में समपरिवर्तित किया जाता है।

ह०/-

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक -8/ज०स०(नि०) डाल 03- /09 5092

राँची, दिनांक - 31-10-16

प्रतिलिपि -सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग झारखण्ड, राँची/उपसचिव, प्रबंधन, (प्रशाखा-1) जल संसाधन विभाग झारखण्ड राँची/मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव